महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज संस्थान - म.प्र.

पहल

ई–समाचार पत्र (मासिक) – चौवनवां संस्करण (माह अप्रैल, 2020)

➔ ''पहल'' के इस संस्करण में .....

1. अपनी बात ....
2. कोविड–19 की रोकथाम एवं बचाव में ग्राम पंचायतों की भूमिका एवं लोगों की सहभागिता
3. मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कलेक्टर्स/कमिश्नर्स को आयोजित वीडियो कान्फ्रेंस में दिए गए निर्देश
4. ''कोरोना को हराना है'' ग्राम पंचायत की पहल
5. कोरोना (COVID-19) संक्रमण महामारी आपदा से गांव के लोगों को बचाने में ग्राम पंचायतों के सकारात्मक प्रयास
6. आपदा प्रबंधन के घटक
7. सरस मेले में मिला समूह को दूसरा पुरूस्कार
8. निर्णायक जंग––कोरोना के संग
9. कोरोना वायरस के संबंध में पूछे जाने वाले प्रश्न
10. कोरोना वायरस से बचने हेतु गांव–समूह सदस्य का प्रयास
11. पंचायतराज व्यवस्था (काव्य रचना)

प्रकाशन समिति

संरक्षक एवं सलाहकार
श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव (IAS)
अपर मुख्य सचिव,
म.प्र.शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

प्रधान संपादक
श्री संजय कुमार सराफ,
संचालक,
महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास
एवं पंचायतराज संस्थान–म.प्र., जबलपुर

सह संपादक
श्रीमती सुनीता चौबे,
उप संचालक, म.गां.रा.ग्रा.वि.पं.रा.स.–म.प्र., जबलपुर

ई–न्यूज के सम्बन्ध में अपने फीडबैक एवं आलेख छपवाने हेतु कृपया इस पते पर मेल करें–mgsirdpahal@gmail.com
Our official Website : www.mgsird.org, Phone : 0761-2681450 Fax : 761-2681870
Designed & Developed by Jay Shrivastava and Ashish Dubey, Programmer, MGSIRD&PR, JABALPUR

अपनी बात...

''पहल'' मासिक ई–न्यूज लेटर का चौवनवां संस्करण का प्रकाशन किया जा रहा है, जो वर्ष 2020 का चतुर्थ मासिक संस्करण है।

यह संस्करण केविड–19 विशेषांक है, जैसा कि विदित है कि Covid19 जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा Corona virus disease 19 भी कहा जा रहा है एवं कोरोना वायरस को महामारी भी घोषित कर दिया है। कोरोना का संक्रमण दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है, जिससे अब भारत भी अछूता नहीं रहा है।

इस संस्करण को पूरे भारत वर्ष में 21 दिन के लॉक डाउन के समय शासन के दिशा–निर्देश **"Work From Home and Contact to Mobile"** का पालन करते हुये संस्थान एवं क्षेत्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज प्रशिक्षण केन्द्रों में पदस्थ अधिकारीगण, संकाय सदस्य एवं कम्प्यूटर प्रोग्रामर द्वारा तैयार किया गया है।

इस संस्करण में **''कोरोना वायरस (महामारी) की रोकथाम एवं बचाव में ग्राम पंचायतों की भूमिका एवं लोगों की सहभागिता'', ''मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कलेक्टर्स/कमिश्नर्स की दिनांक 24.03.2020 को आयोजित वीडियो कान्फ्रेंस में दिए गए निर्देश'', ''कोरोना को हराना है – ग्राम पंचायत पीलूखेड़ी, जनपद पंचायत नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़ की पहल'', ''कोरोना (COVID-19) संक्रमण महामारी आपदा से गांव के लोगों को बचाने में ग्राम पंचायतों के सकारात्मक प्रयास'', ''आपदा प्रबंधन के घटक : सन्नद्धता, निवारण तथा पुनर्वास'', ''सरस मेले में मिला समूह को दूसरा पुरूस्कार'', ''निर्णायक जंग – कोरोना के संग'', ''कोरोना वायरस (कोविड 19)के संबंध में पूछे जाने वाले प्रश्न'', ''कोरोना वायरस से बचने हेतु गांव–समूह सदस्य का प्रयास'' एवं ''पंचायतराज व्यवस्था (काव्य रचना)** आदि आलेखों को शामिल किया गया है।

मुझे पूर्ण भरोसा है कि 'पहल' का यह संस्करण रूचिकर एवं खास कर कोरोना वायरस (कोविड–19) पर आपको कई जानकारियां प्रदान करेगा।

शुभकामनाओं सहित।

संजय कुमार सराफ
संचालक

कोरोना वायरस (महामारी) की रोकथाम एवं बचाव में ग्राम पंचायतों की भूमिका एवं लोगों की सहभागिता

Covid19 जिसे WHO ने Corona virus disease 19 या (SARS&coV&2) भी कहा जा रहा है एवं विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा कोरोना वायरस को महामारी भी घोषित कर दिया है। कोरोना वायरस बहुत सूक्ष्म लेकिन प्रभावी वायरस है। कोरोना वायरस मानव के बाल की तुलना में 900 गुना छोटा है। लेकिन कोरोना का संक्रमण दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है, जिससे अब भारत भी अछूता नहीं रहा। चूंकि हमारी जिसकी जनसंख्या विश्व में दूसरे स्थान पर है जिससे इसका संक्रमण बढ़ने की बहुत आशंका है। जैसा कि विदित है कि कुल जनसंख्या का अनुमानित 70% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और अगर सभी पंचायतें अपने–अपने स्तर पर इसका महामारी के बचाव हेतु कारगर उपाय उठाती है तो इसके संक्रमण को बहुत हद तक रोका जा सकता है।

कोरोना वायरस क्या है?

कोरोना वायरस (covid19) का संबंध वायरस के ऐसे परिवार से है जिसके संक्रमण से जुकाम से लेकर सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्या हो सकती है। इस वायरस को पहले कभी नहीं देखा गया है। इस वायरस का संक्रमण दिसंबर में चीन के वुहान में शुरू हुआ था। डब्लूएचओ के मुताबिक बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ इसके लक्षण हैं। अब तक इस वायरस को फैलने से रोकने वाला कोई टीका तैयार नहीं किया गया है।

इसके संक्रमण के फलस्वरूप बुखार, जुकाम, सांस लेने में तकलीफ, नाक बहना और गले में खराश जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। यह वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। इसलिए इसे लेकर बहुत सावधानी बरती जा रही है। यह वायरस दिसंबर में सबसे पहले चीन के वूहान शहर में आया था और धीरे–धीरे करके इस महामारी के पूरे विश्व में अपने पैर पसार लिए है जो बहुत तेजी से बढ़ता ही जा रहा है। जिससे वर्तमान में चीन के बाद इटली, अमेरिका में सबसे ज्यादा तबाही कर रहा है। वर्तमान में भारत में कुल 1100 लोग संक्रमित हो चुके है, जिसमें से 80 ठीक हो चुके है एवं 27 लोगों की मृत्यु हो चुकी है ।

कोरोना से मिलते–जुलते वायरस खांसी और छींक से गिरने वाली बूंदों के जरिए फैलते हैं। कोरोना वायरस अब चीन में उतनी तीव्र गति से नहीं फैल रहा है जितना दुनिया के अन्य देशों में फैल रहा है। कोविड 19 नाम का यह वायरस अब तक 70 से ज्यादा देशों में फैल चुका है। कोरोना के संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए सावधानी बरतने की जरूरत है ताकि इसे फैलने से रोका जा सके।

क्या हैं इस बीमारी के लक्षण?

Covid 19 कोरोना वायरस में पहले बुखार होता है। इसके बाद सूखी खांसी होती है और फिर एक हफ्ते बाद सांस लेने में परेशानी होने लगती है। इन लक्षणों का हमेशा मतलब यह नहीं है कि आपको कोरोना वायरस का संक्रमण है। कोरोना वायरस के गंभीर मामलों में निमोनिया, सांस लेने में बहुत ज्यादा परेशानी, किडनी फेल होना और यहां तक की मौत भी हो सकती है। बुजुर्ग या जिन लोगों को पहले से अस्थमा, मधुमेह या हार्ट की बीमारी है उनके मामले में खतरा गंभीर हो सकता है। जुकाम और फ्लू में के वायरसों में भी इसी तरह के लक्षण पाए जाते हैं।

Covid19 या कोरोना वायरस जैसी महामारी से लड़ने एवं बचाव हेतु पंचायतों की भूमिका ।

Covid19 या कोरोना वायरस के संक्रमण न फैले एवं बढ़ने से रोकने हेतु पंचायतों द्वारा अपने अपने स्तर पर निम्न प्रयास किए जा रहे है।

ग्राम पंचायतों द्वारा सबसे पहले संक्रमण से सम्बंधित सभी जानकरियाँ अपने स्तर के सबसे सुलभ साधन के माध्यम से सभी ग्रामवासियों तक पहुँचना सुनिश्चित किया जा रहा है जो निम्न है –

1. डोंडी पिटवाकर
2. पंपलेट घर–घर जाकर बाँटना
3. दीवार लेखन
4. एस.एम.एस. एवं व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से
5. लाउड स्पीकर के माध्यम से
6. अन्य स्थानीय उपाय

ग्राम पंचायतों में कोरोना वायरस से होने वाले संक्रमण से बचाव हेतु निम्न कदम उठाये जा सकते है –

1. ग्राम पंचायत सीमा आने जाने वालों हेतु आवाजाही पूर्णता प्रतिबंधित करना।
2. जो ग्राम पंचायत व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह अगर किसी कारणवश किसी और स्थान पर रूके हुए है तो उनका हालचाल पूछकर उनकी खाने रहने और आवश्यक सामग्री हेतु वहाँ के स्थानीय प्रशासन से मदद मुहैया कराना, उन्हें सभी प्रकार के हेल्प लाइन नम्बर दिए जाए जिससे आवश्यकता पड़ने पर उन्हें सम्भव मदद मिल सके। साथ ही साथ उनका हौसला बढ़ाते रहना चाहिये।

3. किसी भी स्थिति में डर, भय एवं भ्रामक जानकरियाँ ना फैले एवं ऐसा करने वालों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करना।
4. ग्राम पंचायत में उपलब्ध आने जाने वालों के लिए एक रजिस्टर का प्रावधान रहता है जिसका कड़ाई से पालन किया जाए ।
5. ग्राम पंचायत क्षेत्र में साफ सफाई का पूर्ण ध्यान रखा जाए जिससे कोई अन्य बीमारी भी न हो सके ।
6. सभी ग्रामवासियों को मिलकर आदरणीय बापू की सोच "स्वावलंबन की ओर अग्रसर" होने का प्रयास करना चाहिए ।
7. ग्राम पंचायतों के युवाओं एवं अन्य जो किसी भी प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम का प्रबंधन जानते हो उनकी सहायता लेनी चाहिए।
8. सभी स्थाननीय पंचायत प्रतिनिधियों को एवं शासकीय सेवकों को कोरोना वायरस से सम्बंधित सभी बातों का पालन कर सभी को अपनी नेतृत्व का उदाहरण प्रस्तुत कर संक्रमण से बचने हेतु उपायों का पालन कराना चाहिए।
9. सामाजिक सुरक्षा पेंशन का समय पर मिलना सुनिश्चित करना।
10. सार्वजनिक वितरण प्रणाली का राशन वितरण सुनिश्चित करना ।
11. एडवांस राशि सहायता ।
12. मेडिकल कालेजों में निशुल्क इलाज व्यवस्था।
13. पंच परमेश्वर योजनांतर्गत राशि का उपयोग से लोगों की भोजन/आश्रय आदि व्यवस्था ।
14. खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत पात्र परिवारों को एक माह का राशन निशुल्क प्रदान करना।
15. प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं के 26–68 लाख विद्याथियों को मध्यान्ह भोजन की राशि उनके खातों में जमा कराना ।
16. समय समय पर ग्रामवासियों की अन्य बीमारियों हेतु भी उपचार सुविधा उपलब्ध कराना।
17. माननीय प्रधानमंत्री जी के 21 दिन के लॉकडाउन के निर्देशों का सभी स्थानों पर पालन कराना।
18. स्थानीय प्रशासन को 21 दिन के लॉकडाउन में सहयोग प्रदान करना ।
19. पंचायतों में किसी भी प्रकार की भ्रामक जानकरियाँ ना फैले इस बात का ध्यान होना चाहिए ।
20. आवश्यक वस्तुओं के विक्रय स्थानों पर भीड़ इकट्ठा ना होने पाए ।
21. ग्रामवासियों को सोशल डिस्टेंसिंग के विषय में जानकारी देना।
22. संक्रमण के लक्षण पाए जाने पर संक्रमित व्यक्ति को मेडिकल कालेज में भर्ती कराकर आइसोलेट करना एवं परिवारजनो एवं मिलने–जुलने वालों को घर पर ही क्वारेंटिन करना एवं उस क्षेत्र को सेनेटाइज कराना।
23. वर्तमान में कोरोना वाइरस से सम्बंधित राज्य सरकार द्वारा पंचायतों प्रदान किए जाने वाले निर्देशो का पालन पदाधिकारियों द्वारा पालन कराना।

इसी तारतम्य में कुछ पंचायतों ने इस आपदा से निपटने हेतु नवीन प्रयास किए है जिनमें सबसे पहले नाम आता है इंदौर जिले की महूँ जनपद पंचायत की गवली पलसिया ग्राम पंचायत वहाँ के ग्राम पंचायत सरपंच श्री गणेश पाटीदार द्वारा निम्न प्रयास किए जा रहे है –

1. ग्राम पंचायत गवली पलासिया द्वारा में पूरी पंचायत में डोंडी पिटवाकर युवाओं एवं जिम्मेदार ग्रामवासियों से चर्चा कर सभी को अपने–अपने घरों में रहने हेतु सूचित किया गया।
2. ग्राम पंचायत सीमा आने जाने वालों हेतु पूर्णता प्रतिबंधित किया गया।
3. ग्राम पंचायत द्वारा जीपीडीपी तैयार करते समय आपदा प्रबंधन समिति का गठन गया था, समिति के सदस्यों द्वारा पंचायत क्षेत्र में आम नागरिकों को वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु जानकारी प्रदान कर रोकथाम हेतु क्लोरोहाईड्रेड का छिड़काव कराया जा रहा है।
4. दैनिक उपयोग की में आने वाली आवश्यक वस्तुओं की दुकानों के अलावा सभी जगह लॉकडाउन ।
5. ग्राम पंचायत में सोशल डिसटेंसिंग सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक वस्तुओं की दुकानो के पास 1 मीटर की समान दूरी पर सफेद चूने से गोले बनाये गए है, जिससे लोगों में आपसी दूरी बनी रहे ।
6. ऐसे मजदूर जो लाक्डाउन की अवधि में पंचायत में दिहाड़ी मजदूरी करने आए थे उन्हें पर्याप्त मात्रा में राशन सामग्री वितरित कर उन्हें गन्तव्य स्थान तक पहुचाने की उचित व्यवस्था की गई।
7. इसी अंतराल में गाँव में एक मृत्यु हो गई थी जिसमें अंतिम यात्रा में परिवारजनो से कम से कम लोगों को जाने को कहा गया एवं उनके द्वारा वर्तमान परिस्थिति देखते हुए बात को स्वीकारा गया।
8. गाँव में एक साप्ताहिक हाट भरने की वर्षों पूर्व से परम्परा है, उसे पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया।
9. ग्राम पंचायत द्वारा शासन स्तर से सभी विभागों से प्राप्त निर्देशो का पालन सतत सम्पर्क में रहकर किया जा रहा है ।

ग्राम पंचायतों में इससे बचाव के अन्य उपाय –

1. स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस से बचने के लिए दिशा–निर्देश जारी किए हैं। उनका पालन कराया जाए।
2. बहुत अधिक आवश्यकता होने पर ही घर से बाहर निकले, एवं बाहर निकलते समय अपने आप को अच्छे से ढककर एवं मुँह पर मास्क लगा कर निकले।
3. घर से आवश्यक कार्यों हेतु बुजुर्गों को न भेजकर युवाओं को भेजें।
4. समय समय पर सही तरीके हाथों को साबुन से धोना चाहिए।
5. अल्कोहल आधारित हैंड रब सेनेटाइजर्स का इस्तेमाल भी किया जा सकता है।
6. खांसते और छींकतें समय नाक और मुंह रूमाल या टिश्यू पेपर से ढंककर रखें।
7. जिन व्यक्तियों में कोल्ड और फ्लू के लक्षण हों, उनसे दूरी बनाए रखें ।

मास्क कौन और कैसे पहनें?

- अगर आप स्वस्थ हैं तो आपको मास्क की जरूरत नहीं है।
- अगर आप किसी कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति की देखभाल कर रहे हैं, तो आपको मास्क पहनना होगा।
- जिन लोगों को बुखार, कफ या सांस में तकलीफ की शिकायत है, उन्हें मास्क पहनना चाहिए और तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए।

मास्क पहनने का तरीका –

- मास्क पर सामने से हाथ नहीं लगाना चाहिए।
- अगर हाथ लग जाए तो तुरंत हाथ धोना चाहिए।
- मास्क को ऐसे पहनना चाहिए कि आपकी नाक, मुंह और दाढ़ी का हिस्सा उससे ढंका रहे।
- मास्क उतारते वक्त भी मास्क की लॉस्टिक या फीता पकड़कर निकालना चाहिए, मास्क नहीं छूना चाहिए।
- हर रोज मास्क बदल दिया जाना चाहिए ।

सभी पंचायतों को अपनी जीपीडीपी तैयार करते समय आवश्यक रूप से आपदा प्रबंधन समिति का निर्माण कर हर आपदा के लिए तैयार रहना चाहिए, लगभग 18 साल पहले सार्स वायरस से भी ऐसा ही खतरा बना था। 2002–03 में सार्स की वजह से पूरी दुनिया में 700 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। पूरी दुनिया में हजारों लोग इससे संक्रमित हुए थे। इसका असर आर्थिक गतिविधियों पर भी पड़ा था।

पंचायतें अपने अपने स्तर से अपने विभागों से प्राप्त निर्देशो का पालन करना सुनिस्चित करना चाहिए, इसी प्रकार विश्व स्वास्थ्य संगठन, पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड और नेशनल हेल्थ सर्विस (एनएचएस) से प्राप्त सूचना के आधार पर कोरोना वायरस से बचाव के तरीके बता रहे हैं एवं यही जानकारी ग्राम पंचायत स्तर पर पहुँचाई जा रही है सभी राज्य की सीमाओं में लोगों की स्क्रीनिंग हो या फिर लैब में लोगों की जांच, सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए कई तरह की तैयारी की है। इसके अलावा किसी भी तरह की अफवाह से बचने, खुद की सुरक्षा के लिए कुछ निर्देश जारी किए हैं जिससे कि कोरोना वायरस से निपटा जा सकता है।

सुरेन्द्र प्रजापति
संकाय सदस्य

मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कलेक्टर्स/कमिश्नर्स की दिनांक 24.03.2020 को आयोजित वीडियो कान्फ्रेंस में दिए गए निर्देश

माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिनांक 24 मार्च 2020 को कलेक्टर्स/कमिश्नर्स की वीडियों कांफ्रेंसिंग में प्रदेशव्यापी 21 दिन के लॉकडाउन की अवधि में प्रदेश के आम नागरिकों को किसी तरह की असुविधा न हो इसलिए नीचे लिखी घोषणायें/निर्देश दिए गए हैं –

1. प्रदेश में सभी प्रकार के सामाजिक सुरक्षा पेंशन, विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित पेंशन आदि का भुगतान दो माह में अग्रिम रूप में किया जाए।
2. सनिर्माण कर्मकार मंडल के अंतर्गत दर्ज मजदूरों को रू. 1000/– की सहायता राशि उपलब्ध करायी जाए।
3. सहारिया, बैगा एवं भारिया जनजाति के परिवारों के खातों में दो माह की एडवांस राशि रू. 2000/– भेजी जाए।
4. कोरोना पॉजीटिव पाए जाने पर शासकीय अस्पतालों एवं मेडिकल कॉलेजों में निःशुल्क इलाज किया जाए। यह इलाज सभी वर्गों के लिए उपलब्ध रहेगा। निजी चिकित्सालयों को प्रतिपूर्ति के रूप में आयुष्मान भारत योजना में निर्धारित दरों के हिसाब से भुगतान किया जाए।
5. ग्राम पंचायतों में पंच परमेश्वर योजना की प्रशासनिक मद में उपलब्ध राशि का उपयोग लोगों के भोजन/आश्रय की व्यवस्था के लिए किया जाए।
6. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत पात्र परिवारों को एक माह का राशन निःशुल्क दिया जाएगा।
7. प्राथमिक शालाओं 60.81 लाख एवं माध्यमिक शालाओं के 26.68 लाख विद्यार्थियों के खाते में मध्यान्ह भोजन की राशि का वितरण किया जाए।

उपरोक्त घोषणाओं/निर्देशों पर आवश्यक निर्देश जारी करते हुए तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करें।

मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन के द्वारा जारी दिशा निर्देशों के परिपालन में आयुक्त पंचायतराज संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत एवं जनपद पंचायतों को पत्र क्र./पं.रा./एफएफसी/2020/4135 भोपाल दिनांक 26.03.2020 जारी पत्र –

14वें वित आयोग मूल अनुदान वित्तीय वर्ष 2019–20 अंतर्गत द्वितीय किश्त ग्राम पंचायतों को सीधे उनके एकल बैंक खाते में जारी की गई है। इस राशि को प्रिया साफ्ट में रिसीप्ट बाउचर अंतर्गत जोड़ते हुये संपूर्ण राशि का व्यय प्रिया साफ्ट के माध्यम से ही संपादित करावें।

उक्त राशि का उपयोग ''महात्मा गांधी ग्राम स्वराज एवं विकास योजना'' के निर्देश क्र. 43ए/2018/22/पं.1 दिनांक 08.03.2019 अनुसार निम्न संशोधन के साथ सुनिश्चित करने का कष्ट करें –

1. कार्यालयीन व्यय हेतु निर्धारित 7.5 प्रतिशत राशि में से अधिकतम 30000.00 तक वैश्विक महामारी कोविड–19 की रोकथाम के लिए जरूरतमंद लोगों के लिए भोजन/आश्रय की व्यवस्था के लिए किया जावे।
2. परिसंपत्तियों के संधारण हेतु 7.5 प्रतिशत राशि निर्धारित की गई है जिसमें –
   - ग्राम पंचायत की साफ–सफाई का कार्य।
   - साफ–सफाई से संबंधित सामग्री क्रय संबंधी कार्य का प्रावधान है, कोरोना महामारी को दृष्टिगत रखते हुए इस मद में न्यूनतम 2.5 प्रतिशत राशि व्यय की जावे एवं सेनेटाइजर, मास्क आदि सामग्री क्रय की जावे।
3. निर्माण कार्यों में मनरेगा योजना अंतर्गत अनुमत्य कार्य के साथ प्रभावी कंवर्जेंस एवं उनका सामाजिक अंकेक्षण किया जावे।

प्रभावी मॉनीटरिंग सुनिश्चित करें। शेष शर्तें उपरोक्त परिपत्र अनुसार यथावत रहेंगे।

''कोरोना को हराना है'' ग्राम पंचायत पीलूखेड़ी, जनपद पंचायत नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़ की पहल

ग्राम पंचायत पीलूखेड़ी जनपद पंचायत नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ मध्यप्रदेश द्वारा विश्व में आई आपदा कोरोना वायरस से बचने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर स्थानीय कर्मचारी एवं एकता स्व–सहायता समूह की महिलाओं द्वारा सराहनीय प्रयास किए गए, पीलूखेड़ी की महिलाओं द्वारा स्वयं के द्वारा निर्मित मास्क बनाए गए, इन मास्को को महिलाओं द्वारा घर–घर जाकर ग्रामवासियों को मुफ्त में वितरण किए गए, पंचायत समितियों द्वारा ग्राम में साफ–सफाई कराई गई एवं राशन की दुकान में 1 मीटर की दूरी पर निशान बनाकर राशन बनवाया गया, गरीबों को घर–घर जाकर मुफ्त में अनाज बांटा गया एवं कोरोना वायरस से बचने के उपाय बताए गए एवं शासन के नियमों का पालन कर एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया गया, ग्राम पंचायत पीलूखेड़ी में फैक्ट्रियां एवं भोपाल–गुना हाईवे रोड पर स्थित होने के कारण पर्याप्त एहतियात बरती गई एवं शासन को समय–समय पर आवश्यक सूचनाएं दी गई।

प्रकाश कड़वे,
संकाय सदस्य

कोरोना (COVID-19) संकमण महामारी आपदा से गांव के लोगों को बचाने में ग्राम पंचायतों के सकारात्मक प्रयास

पूरी दुनिया में कोरोना (COVID-19) वायरस महामारी का विकराल रूप देखने मिल रहा है। जिसका असर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से हमारे देश के ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों पर भी पड़ा है। ऐसे आपातकाल में गॉव के लोगों को जरूरी सेवा उपलब्ध कराने में हमारी ग्राम पंचायतें अहम् भूमिका निभा रहीं हैं। हमने कुछ ग्राम पंचायत के सरपंचों से बातचीत के माध्यम से यह जानने का प्रयास किया कि, वे इन आपदाओं से निपटने के लिए क्या–कुछ कोशिशें कर रहे हैं।

इस विषय पर हमने पंजाब राज्य के श्री पंथदीप सिंह, सरपंच, ग्राम पंचायत छीना, विकासखंड–धारीवाल, जिला–गुरूदासपुर एवं मध्यप्रदेश के श्री शिवप्रसाद पटेल, सरपंच, ग्राम पंचायत पढुआ जिला जबलपुर श्री परसराम पटेल, पंच, ग्राम पंचायत सिहोदा जबलपुर से दूरभाष पर चर्चा की। दूरभाष पर मिली जानकारी के आधार पर हमने यह लेख तैयार किया गया है।

ग्राम पंचायत–छीना, विकासखंड–धारीवाल, जिला–गुरूदासपुर, पंजाब

ग्राम पंचायत छीना में हुऐ विकास कार्यो के लिए भारत सरकार द्वारा नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार, दीनदयाल पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार, 2019 दिया गया है। इसका श्रेय इस ग्राम पंचायत के सरपंच श्री पंथदीप सिंह को जाता है। श्री पंथदीप सिंह द्वारा कोराना वायरस से बचाव के लिए विशेष प्रयास किये गये हैं।

घर–घर संपर्क कर गांव के लोगों में जागरूकता लाने का प्रयास

छीना ग्राम पंचायत के सरपंच श्री पंथदीप सिंह ने बताया कि उनकी ग्राम पंचायत छीना में 302 परिवार के 1600 लोग रहते हैं। ग्राम पंचायत द्वारा घर–घर जाकर लोगों को वायरस से बचने के लिए जागरूक किया गया।

जानकारी व सूचनाओं को ग्रामीण जनों तक पहुँचाना

वायरस की जानकारी, इससे बचने के तरीकों और सभी सूचनाओं को गांव में प्रसारित किया जा रहा है। गांव में सामाजिक समरसता, धार्मिक एकजुटता भी देखने मिली। छीना ग्राम पंचायत में गुरूद्वारा व गिरिजाघर से ये सूचनाएं प्रसारित की जा रही थीं। ग्राम पंचायत के मुख्य द्वारा पर कोरोना वायरस से

सावधान के फ्लेक्स लगवाये गये। कोरोना से बचाव के लिए दिशा–निर्देश चित्रों एवं डायग्राम में समझाते हुये ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड एवं प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर चस्पा किये गये। ''कोरोना वायरस के कारण हमारे घर में आना मना है।'' ये नोटिस सभी घरों के सामने चस्पा किये गये हैं।

ग्राम प्रवेश व निकासी पर नियत्रंण

गांव में बाहरी व्यक्तियों के आने पर पाबंदी लगा दी गई है ताकि लोगों को वायरस से बचाया जा सके। छीना गांव पॉच के पॉच प्रवेश द्वारा में से तीन को स्टील के बेरियर्स लगवा कर बंद कर दिया गया। ग्रामवासियों को ग्राम पंचायत छीना से बाहर जाने व भीतर आने के लिए सरपंच की अनुमति लेना होता है। सिर्फ गेट नम्बर 1 एवं गेट नम्बर 2 से ही गांव के लोगों के गांव में प्रवेश और निकासी की अनुमति दी गई। इन दोनों गेट्स पर 3–3 सुरक्षा कर्मी की तैनाती की गई। जो प्रत्येक व्यक्ति की जॉच करने के बाद ही गांव के भीतर जाने देते हैं। आने–जाने वाले लोगों का पूरा विवरण रजिस्टर में लिखा जाता है।

गांव में सफाई हेतु दवाईयों का छिड़काव

गांव की सड़कों, खम्बों, बेंच, प्रत्येक घर के दरवाजों पर प्रत्येक 48 घंटों में सोडियम हाई पोकलोराइट का स्प्रे करवाया गया है।

लोगों के लिए जरूरी सामग्री का प्रबंध के प्रयास

गांव में सब्जी बिक्रेतों को प्रति दिन दुकान लगाने की अनुमति दी गई है। सब्जी बिक्रेता मुंह में मास्क पहनते हैं। हाथ स्वच्छ रखने के लिए वे हैंड सेनीटाइजर का उपयोग करते हैं। ग्रामवासियों को ग्रोसरी ''आवश्यक सामग्री'' उपलब्ध कराई जा रही है। इसके लिए प्रति दिन 118 परिवारों को सामग्री दी जा रही है।

ग्राम पंचायत–पढुआ, जनपद पंचायत–जबलपुर, जिला

जबलपुर (मध्यप्रदेश)

ग्राम पंचायत पढुआ जबलपुर शहर से बिलकुल नजदीक है। यह गांव जबलपुर बायपास से भेड़ाघाट–भोपाल की ओर जाने वाले मार्ग पर स्थित हैं। मेडिकल हॉस्पिटल और नेशनल हाइवे तथा शहर से लगा होने से कोरोना वायरस से बचाव करना बड़ी चुनौती थी। ग्रामीणजनों, पंचायत और शासकीय सेवकों की सहभागिता से इस चुनौती का सामना किया गया।

जानकारी व सूचनाओं को ग्रामीण जनों तक पहुॅचाना

सरपंच द्वारा जागरूता का संदेश प्रसारित किया गया। यह संदेश गांव के नोटिस बोर्ड में लगाये गये, व्हाट्सएप ग्रुप में दिये गये और जागरूकता टोली द्वारा गांव में घरों घर जाकर समझाया गया। ग्रामवासियों के लिए ''कोरोना वायरस से बचाव के तरीकों और सावधानियों'' का जागरूकता संदेश श्री शिवप्रसाद पटेल, सरपंच द्वारा प्रसारित किया गया। ये संदेश ग्राम पंचायत के सूचना पटल, स्कूल, राशन दुकान, अन्य जगहों पर लगाये गये।

ग्राम सभा सदस्यों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। जिसमें जनपद पंचायत के अधिकारियों, स्वास्थ विभाग के डाक्टर, एएनएम को भी जोड़ दिया। इनके द्वारा दिये जा रहे जागरूकता संदेशों को व्हाट्स एप्प के माध्यम से घरों–घरों पहुॅचाया गया है। गांव में अपने अपने घरों में सफाई और नालियों को स्वयं से साफ रखने को जागरूक किया गया। व्हाट्स एप के माध्यम से शासन और प्रशासन की ओर से आने वाले हर निर्देश ओर चेतावनियों सलाह उपायों को ग्रुप के माध्यम से तुरंत जानकारी दी तथा कड़ाई के लिए पुलिस का सहयोग भी लिया।

टोली बना कर जानकारी एवं आवश्यक सेवाओं को पहुॅचाना

प्रत्येक 10 घर पर एक जागरूकता प्रभारी तैनात किया। वार्ड पंचों, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ता, सहायिका, आशा कार्यकर्त्ता को जागरूकता प्रभारी की जबावदारी दी गई। सभी जागरूकता प्रभारी लक्षित परिवारों में जाकर कोरोना वायरस के लक्षण, बचाव के तरीके बताने लगे। कोरोना वायरस से बचने के लिये शासन प्रशासन द्वारा दिये गए दिशा निर्देशों तथा उपायों को बताया गया। जागरूकता टोली द्वारा गांव में घरों घर जाकर समझाया गया।

गांव के लोगों द्वारा ही सब्जी, फल, अन्य जरूरी सामान घरों–घरों पहुॅचाने का कार्य किया जा रहा है। राशन दुकान वालों से निवेदन किया गया कि आप के पास उपलब्ध खाद्यान्न में से इस माह और अगले माह का राशन वितरित कर दिया जावे। गांव के खेतों में लगी सब्जी को लेने से कोई भी किसान मना न करे ऐसा गांव के लोगो से ग्रुप के माध्यम से निवेदन किया।

ऐसे परिवार जिन्हें जरूरी दवाईयां और सामान लाने के लिए मदद की जरूरत को पूरा करने के लिए गांव के युवाओं की छोटी–छोटी टोली बनाई गई। ये युवा उन परिवारों को मदद कर रहे थे।

कृषिगत मजदूरों की समस्या

हमारी ग्राम पंचायत में कोरोना वायरस का डर भय बहुत बन गया था। गांव में कृषि मजदूर अधिक संख्या में है जो सुबह से शाम तक खेतो में काम करते है जिस कारण से उन्हें टेलीविजन के माध्यम से प्रसारित की जाने वाली वायरस और बचाव के लिए रखी जाने वाली सावधानियों की खबरें देखने सुनने नही मिल पा रही थी।

इस समस्या को दूर करने के लिए हमने इन सभी मजदूरों को खेत नहीं जाने के लिए समझाया। कृषि मजदूरों को खेत मे एक साथ कार्य करने तथा किसानों से खेतों में कार्य करवाना कम किया तथा 20 मार्च से पूर्णतः बन्द करवाया।

गांव में खेलकूद गतिविधियों पर नियंत्रण

हमारे गांव में बहुत से लड़के मैदान में क्रिकेट खेलते थे। हमने उन्हें भी अपने–अपने घर पर रहने के लिए समझाया। हमने नियंत्रण करने के लिए खिलाड़ियों से खेल सामग्रियों को जप्त भी किया।

निश्चित समय पर ही दुकानों से सामग्री बिक्रय

हमारा गांव नेशनल हाइवे पर बसा है हमारे सामने गांव की दुकानें बंद कराने की चुनौती थी। हमने गांव के सभी दुकानदारों से चर्चा की और फिर वे अपनी राजी–खुशी से दुकान बंद करने तैयार हो गये। अब शासन के निर्देशानुसार तय समय पर ही दुकानों खोली जातीं हैं और वहीं से गांव के लोग जरूरत का सामान लेकर चले जाते हैं। गांव के लोग जब दुकानों में सामन लेने जाते हैं तब वे एक दूसरे से कम से कम एक मीटर की दूरी बना कर रखते हैं।

स्व–सहायता समूह सदस्यों द्वारा मास्क तैयार किया जाना

गांव के स्व–सहायता समूह की दीदियों द्वारा मास्क तैयार किये जा रहे हैं। इनके द्वारा बनाये गये मास्क को सार्वजनिक जगहों पर कार्य करने वाले सेवकों एवं खेती–बाड़ी के काम करने वाले लोगों को निःशुल्क वितरित किया जा रहा है। ग्रामपंचायत पढुआ के सरपंच, सचिव, जनपद सदस्य के द्वारा ऑगनवाडी पढुआ,

सिलुआ, जमुनिया तथा आजीवका मिशन समूह संगठन पढुआ की सदस्य, प्रभात फेरी समिति पढुआ के सदस्यों के सहयोग से ग्राम पंचायत के गरीब, असहाय लोगों को प्रति दिन मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करने हेतु खेतो में कृषि मजदूरी करने वाले लोगो को माक्स का निःशुल्क वितरित किया गया।

ग्राम प्रवेश व निकासी पर नियत्रंण

दूसरे गांव के लोगो को ग्राम पंचायत पढुआ में आने से रोक गया। कोई भी अजनवी व्यक्ति गांव में प्रवेश नही कर पाये इसके लिए हमारे गांव के मुख्य मार्ग में बने घर के लोगो द्वारा निगरानी की गई। बाहर से जो दूध, सब्जी, ठेले पर सामान रख कर बेचने वाले दुकानदारों को गांव में आने से रोका गया है।

गांव के जो लोग गांव से बाहर रोजी रोटी के लिए कमाने खाने गये थे उनकी जानकारी ली गई। जब वे वापिस अपने गांव में आये तो सबसे पहले उन्हें गांव की सीमा में बने चेकपोस्ट पर ही रोक लिया गया उनकी जॉच करवाने के बाद ही उन्हें गांव के भीतर आने दिया गया।

अपने–अपने घरों पर ही नवरात्रे देवी पूजन करने के लिए समझाईश

25 मार्च 2020 से देवी के नवरात्रे में मंदिर पर सामूहिक कार्यक्रम नहीं किये गये। सिर्फ एक पंडा द्वारा पूजा की गई। प्रति दिन होने वाली सामूहिक आरती ओर प्रभात फेरी बन्द कर दी गई। आरती मात्र एक दो लोग ही सुरक्षात्मक तरीको से करते है। हमारे गांव में बहुत से घरों में नवरात्रि में जवारे रखे गये। जिन घरों में जवारे रखे गये हैं वहां पर उस परिवार के सदस्यों के अलावा अन्य कोई भी व्यक्ति नहीं जायेंगे ऐसी व्यवस्था बनाई गई है।

गांव में सफाई हेतु दवाईयों का छिड़काव

ग्राम पंचायत पढुआ में गांव के लोगों की सहभागिता और नगरपालिका निगम जबलपुर के सहयोग से गांव में दवा का छिड़काव किया गया। सरपंच शिव पटेल सचिव अरुण पटेल जनपद सदस्य श्री अर्जुन सिंह तथा ग्रामपंचायत द्वारा बनाई गई टोलियों द्वारा ग्रामपंचायत के तीनों ग्राम सिलुआ जामुनिया पढुआ में दवा का झिड़काव किया गया। सफाई बनाये रखने हेतु ग्रामीण जन को जानकारी दी गई तथा साथ मे सफाई कार्य किया गया। श्री रमेश पटेल ग्राम सिलुआ के सहयोग से गांव में सेनेटाइजर का छिड़काव करवाया गया है।

ग्राम पंचायत सिहोदा जनपद पंचायत शहपुरा जिला जबलपुर

ग्राम पंचायत कार्यालय में बनाया गया नियंत्रण कक्ष

ग्राम पंचायत सिहोदा के कार्यालय में ''नियंत्रण कक्ष'' बनाया गया है। इस नियंत्रण कक्ष में 24 घण्टे सेवकों की डियुटी लगाई गई है। इसके लिए आशा कार्यकर्त्ता, एएनएम, सचिव, ग्राम रोजगार सहायक का डियुटी चार्ट बनाया गया है।

टेलीफोन डारेक्टरी

ग्राम पंचायत की ओर से एक हैण्डआउट्स तैयार किया गया है। जिसमें सर्तकता समिति सदस्यों, पंचायत के सरपंच, पंच, सचिव, ग्राम रोजगार सहायका, टोल फ्री नम्बर, दिये गये हैं। यह हैण्डआउट प्रत्येक घर में वितरित किया गया है।

ग्राम प्रवेश व निकासी वाले व्यक्तियों का डाटा संकलन

प्रत्येक वार्ड के पंच द्वारा अपने वार्ड में बाहर से आने वाले व गांव से बाहर जाने वाले व्यक्यिों की जानकारी रखी जा रही है। प्रति दिवस सांयकाल में वार्ड पंचों द्वारा यह जानकारी ग्राम पंचायत कार्यालय में भेजी जाती है।

ग्राम सतर्कता समिति बना कर जानकारी एवं आवश्यक सेवाओं को पहुॅचाना

गॉव में सतर्कता समिति बनाई गई है। जिसमें गांव के युवाओं, स्व–सहायता समूह के सदस्यों, महिला मण्डल, वार्ड पंचों, ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम रोजगार सहायक, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ता, सहायिका, आशा कार्यकर्त्ता, स्वास्थ्य कर्मी, स्कूल शिक्षकों को शामिल किया गया।

सर्तकता समिति के सदस्यों द्वारा गांव के प्रत्येक घर पर जाकर कोरोना वायरस से बचाव के उपायों को बता रहे हैं। समिति सदस्यों द्वारा प्रत्येक घर में जाकर ग्रामवासियों को भोजन करने के पहले साबुन–डिटॉल से हाथ धोने का तरीका सिखाया गया। ग्रामवासियों को बताया जा रहा है कि जब किसी काम से बाहर जाते हैं और अपने घर वापिस आते हैं तब वे अपने कपड़े स्नानगृह में बदलें और अच्छे से साबुन–डिटॉल से अपने हाथ और मुॅह को धो लेवें।

जानकारी व सूचनाओं को ग्रामीण जनों तक पहुॅचाना

ग्राम पंचायत सिहोदा में ग्रामवासियों के लिए ''कोरोना वायरस से बचाव के तरीकों और सावधानियों'' को पूरे गांव में ग्राम कोटवार के माध्यम से मुनादी कराई गई। ग्राम पंचायत भवन प्रांगण में हनुमान जी के मंदिर से लाउडस्पीकर के माध्यम से लगातार संदेश प्रसारित किये गये।

गांव की दीवारों पर संदेश लिखवाये गये हैं। जिनमें कोरोना से

बचाव के तरीकों को लिखा गया है। दीवारों पर सर्तकता समिति सदस्यों के नाम, मोबाईल नम्बर दिये गये हैं। अकस्मिक सहायता के लिए टोल फ्री नम्बर 104, 181 लिखे गये हैं।

गांव की दीवारों पर हिदायतें भी लिखवाई गई हैं। जैसे : गांव में फालतू बैठ कर गप्प ना मारें। समूह कें एकत्रित न होवें। अगर कोई व्यक्ति फालतू बैठे या समूह में इकट्ठे पाये जाते हैं तो उन पर कानून की धारा 144, 188 के अनुसार कार्यवाही की जावेगी और नियमानुसार उन्हें दण्डित किया जावेगा।

गांव में सफाई हेतु दवाईयों का छिड़काव

स्वास्थ्य विभाग, जनपद पंचायत शहपुरा के सहयोग से कीटनाशक मेलाथियान दवा का छिड़काव गांव की नालियों, सड़कों, हैण्डपंपों के आसपास, घरों के बाहर दरवाजों की कुंडियों में किया गया। गांव में लोगों को साफ पीने का पानी मिले इसके लिए गांव के सभी हैण्ड पंपों में क्लोरीन की गोली डलवाई गई। गंदगी के फैलाव की रोकथाम के लिए क्लोरोपारीफास, नुवान, मेलाथियान का सप्ताह में एक बार छिड़काव कराया जा रहा है।

छीना, पढुआ, सिहोदा से ग्राम पंचायत से मिली सीख

- ग्राम पंचायत सिहोदा के कार्यालय में ''नियंत्रण कक्ष'' बनाया गया है। इस नियंत्रण कक्ष में 24 घण्टे सेवकों की डियुटी लगाई गई है। इसके लिए आशा कार्यकर्त्ता, एएनएम, सचिव, ग्राम रोजगार सहायक का डियुटी चार्ट बनाया गया है।

- ग्राम पंचायत सिहोदा की ओर से एक हैण्डआउट्स तैयार किया गया है। जिसमें सर्तकता समिति सदस्यों, पंचायत के सरपंच, पंच, सचिव, ग्राम रोजगार सहायका, टोल फ्री नम्बर, दिये गये हैं। यह हैण्डआउट प्रत्येक घर में वितरित किया गया है।
- ग्राम पंचायतों द्वारा जानकारी व सूचनाऐं लाउडस्पीकर, फ्लेक्स, नोटिस बोर्ड इत्यादि के माध्यम से ग्रामीणजनों तक पहुॅचाई जा रहीं हैं। ग्राम पंचायत छीना में गुरूद्वारा व गिरिजाघर से ये सूचनाएं प्रसारित की जा रही हैं। पढुआ ग्राम पंचायत में ग्राम सभा सदस्यों का व्हाट्सएप ग्रुप बना कर संदेश दिये जा रहे हैं। ग्राम पंचायत सिहोदा में ग्रामवासियों के लिए ''कोरोना वायरस से बचाव के तरीकों और सावधानियों'' को पूरे गांव में ग्राम कोटवार के माध्यम से मुनादी कराई गई। ग्राम पंचायत भवन प्रांगण में हनुमान जी के मंदिर से लाउडस्पीकर के माध्यम से लगातार संदेश प्रसारित किये गये। गांव की दीवारों पर कोरोना से बचाव के उपाय, सर्तकता समिति सदस्यों के नाम, मोबाईल नम्बर, टोल फ्री नम्बर, हिदायतें लिखवाई गई हैं।
- ग्राम पंचायत छीना में ग्राम पंचायत सदस्यों ने गांव के प्रत्येक घर पर जाकर लोगों जागरूक किया। ग्राम पंचायत पढुआ में प्रत्येक 10 घर पर एक जागरूकता प्रभारी बनाया गया है जो ग्रामवासियों, युवाओं, कृषिगत मजदूरों, किसानों को जानकारी, समझाईश दे रहे हैं। ग्राम पंचायत सिहोदा में सर्तकता समिति के माध्यम से ग्रामवासियों को जागरूक किया जा रहा है। समिति में गांव के युवाओं, स्व–सहायता समूह के सदस्यों, महिला मण्डल, वार्ड पंचों, ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम रोजगार सहायक, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ता, सहायिका, आशा कार्यकर्त्ता, स्वास्थ्य कर्मी, स्कूल शिक्षकों को शामिल किया गया।
- ग्राम प्रवेश व निकासी पर नियत्रंण रखने के लिए गॉव के प्रवेश द्वार पर बेरीकेट्स और सुरक्षाकर्मी लगाये गये। आने–जाने वाले लोगों का पूरा विवरण रजिस्टर में लिखा जाता है। ग्रामवासियों को ग्राम पंचायत छीना से बाहर जाने व भीतर आने के लिए सरपंच की अनुमति लेना होता है। ग्राम पंचायत पढुआ कोई भी अजनवी व्यक्ति गांव में प्रवेश नही कर पाये इसके लिए हमारे गांव के मुख्य मार्ग में बने घर के लोगो द्वारा निगरानी की गई। गांव के जो लोग गांव से बाहर रोजी रोटी के लिए कमाने खाने गये थे उनकी जानकारी ली गई। जब वे वापिस अपने गांव में आये तो सबसे पहले उन्हें गांव की सीमा में बने चेकपोस्ट पर ही रोक लिया गया उनकी जॉच करवाने के बाद ही उन्हें गांव के भीतर आने दिया गया।
- ग्राम पंचायत सिहोदा में प्रत्येक वार्ड के पंच द्वारा अपने वार्ड में बाहर से आने वाले व गांव से बाहर जाने वाले व्यक्यिों की जानकारी रखी जा रही है। प्रति दिवस सांयकाल में वार्ड पंचों द्वारा यह जानकारी ग्राम पंचायत कार्यालय में भेजी जाती है।

- छीना ग्राम पंचायत में गांव की सड़कों, खम्बों, बेंच, प्रत्येक घर के दरवाजों पर प्रत्येक 48 घंटों में सोडियम हाई पोकलोराइट का स्प्रे करवाया गया है। ग्राम पंचायत पढुआ में गांव के लोगों की सहभागिता और नगरपालिका निगम जबलपुर के सहयोग से गांव में दवा का छिड़काव किया गया। ग्राम पंचायत सिहोदा में स्वास्थ्य विभाग, जनपद पंचायत शहपुरा के सहयोग से कीटनाशक मेलाथियान दवा का छिड़काव गांव की नालियों, सड़कों, हैण्डपंपों के आसपास, घरों के बाहर दरवाजों की कुंडियों में किया गया। गांव में लोगों को साफ पीने का पानी मिले इसके लिए गांव के सभी हैण्ड पंपों में क्लोरीन की गोली डलवाई गई। गंदगी के फैलाव की रोकथाम के लिए क्लोरोपारीफास, नुवान, मेलाथियान का सप्ताह में एक बार छिड़काव कराया जा रहा है।
- छीना ग्राम पंचायत में सब्जी बिक्रेतों को आने की अनुमति दी गई। बाहर से जो दूध, सब्जी, ठेले पर सामान रख कर बेचने वाले दुकानदारों को गांव में आने से रोका गया है। ग्राम पंचायत पढुआ में युवकों की टोली बना कर गांव के लोगों द्वारा ही सब्जी, फल, दवाईयां, अन्य जरूरी सामान घरों–घरों पहुॅचाने का कार्य किया जा रहा है। ''सोशल डिस्टेंस'' बना कर लोग खरीददारी कर रहे हैं। ग्राम पंचायत सिहोदा में सतर्कता समिति के सदस्यों द्वारा ग्रामवासियों तक सामग्री पहुॅचाने में मदद की जा रही है।
- ग्राम पंचायत छीना, पढुआ एवं सिहोदा में स्व–सहायता द्वारा ''मास्क'' तैयार किये जा रहे हैं। स्व–सहायता समूह द्वारा ग्रामवासियों को जागरूक किया जा रहा है। आवश्यक सामग्री और संदेशों को घरों–घर पहुॅचाने में मदद की जा रही है।
- ग्राम पंचायत पढुआ में देवी के नवरात्रे में मंदिर पर सामूहिक कार्यक्रम नहीं किये गये। सिर्फ एक पंडा द्वारा पूजा की गई। प्रति दिन होने वाली सामूहिक आरती ओर प्रभात फेरी बन्द कर दी गई। आरती मात्र एक दो लोग ही सुरक्षात्मक तरीको से करते है। गांव में बहुत से घरों में नवरात्रि में जवारे रखे गये। जिन घरों में जवारे रखे गये हैं वहां पर उस परिवार के सदस्यों के अलावा अन्य कोई भी व्यक्ति नहीं जायेंगे ऐसी व्यवस्था बनाई गई है।

इस प्रकार से देखा जाए तो सीमित संसाधनों के चलते ग्राम पंचायत छीना, पढुआ एवं सिहोदा में कोरोना (COVID-19) महामारी से निपटने के लिए बहुत अच्छा आपदा प्रबंधन किया गया है। ऐसे आपातकाल में गॉव के लोगों को जागरूक करने, जरूरी सेवा उपलब्ध कराने, सामग्री की पहुॅच सुनिश्चित करने में ग्रामवासियों और शासन का सहयोग लेते हुए हमारी ग्राम पंचायतें अहम् भूमिका निभा रहीं हैं।

डॉ. संजय कुमार राजपूत,
संकाय सदस्य

आपदा प्रबंधन के घटक : सन्नद्धता, निवारण तथा पुनर्वास

आपदा प्रबंधन में तीन मुख्य घटक होते हैं –

- सन्नद्धता
- निवारण
- पुनर्वास

जिनमें से सन्नद्धता एक है।

सन्नद्धता

आपदाएँ तो आती ही रहेंगी। इनके लिए हमें समाचार–पत्रों में या मौखिक रुप से प्रचारित ज्योतिषियों की भविष्यवाणियों पर निर्भर नहीं रहना है। हमें आपदाओं के साथ रहते हुए जीवित रहने की कला सीखनी है। यही सन्नद्धता है।

आपदाओं में क्षतियॉं, मृत्युएँ, शोक, भय आदि उत्पन्न होते है। इन्हें पूरी तरह रोक पाना (निवारण करना) कठिन है, किंतु इन्हें कम तो किया ही जा सकता है (न्यूनीकरण) यह तभी संभव है जब सरकारी तंत्र तत्काल कदम उठाए, अर्थात् प्रशासनिक तंत्र चुस्त–दुरुस्त हो। प्रशासन की आवश्यकता, चाहे विकसित देश हों या विकासशील देश हों, दोनों को समान रुप से पड़ती हैं। कोई भी सरकारी तंत्र प्रशासन तंत्र के बिना दीर्घजीवी नहीं हो सकता। किंतु क्या प्रशासन सदैव सन्नद्धता का परिचय दे पाता है? उत्तर होगा नहीं। गुजरात भूकंप के समय प्रशासन की विफलता ही अधिक उजागर हुई।

यह कथन शत प्रतिशत सत्य है कि आपदाओं का निवारण न केवल अधिक मानवोचित है अपितु सस्ता भी है। आपदा का निवारण हमारी नैतिक अनिवार्यता है, जो युद्ध के खतरों को कम करने जैसी है। आपदाएँ आती है और चली जाती हैं, किंतु क्या कभी जीवन–प्रवाह रुका है? गुजरात भूकंप आपदा को ही ले। भूकंप आया और चला गया। जो भी क्षतियॉं होनी थीं, हो गई, किंतु शीध्र ही शहरों की दुकानें

खुलने लगीं, कारोबार चलने लगा, रेलें दौड़ने लगीं, बिजलीघर पूर्ववत् कार्य करने लगे। लोगों ने भारी मन से असंख्य शवों को मलबे में से निकाला, उन्हें जलाया–दफनाया, लोग शोकाकुल हुए और जीवन–प्रवाह पुनः पूर्ववत् चालू हो गया।

आपदा प्रबंधन के अंतर्गत नागरिकों की प्रमुख भूमिका होती है। प्रभावित समुदाय को आपदा–काल में संतुलन बनाए रखना अनिवार्य है। इच्छा शक्ति से ही स्थिति पर काबू पाया जा सकता है। इच्छा–शक्ति से समुदाय तथा प्रशासक दोनों को अतिरिक्त ऊर्जा प्राप्त होती है। प्रशासनिक तंत्र के अलावा गैर–सरकारी संगठनों तथा को कार्य करने की छूट दी जानी चाहिए। इससे सामग्री का वितरण ठीक से होगा। अन्यथा जैसा कि समाचार–पत्रों में प्रकाशित हुआ था कि भेजी गई राहत सामग्री ट्रकों में लदी रह गई वितरित करने वाले नहीं थे या कि कुछ मनचले बिचौजियों ने उपयोगी सामग्री को हड़प लिया। ध्यान रहे कि प्रेस तथा जनता को प्रभावित करने के लिए अतिरंजित कागजी कार्यवाही से बचना होगा।

आपदा सन्नद्धता के लिए आयोजना

आपदा सन्नद्धता एक सतत् प्रक्रिया है। यह आपदा प्रबंधन हेतु आयोजनाएं तथा कार्यक्रम बनाने के लिए उत्तरदायी राष्ट्रीय प्रणाली का अभिन्न अंग है।

तो आपदा सन्नद्धता के लिए क्या किया जाए?

- आपदा–उन्मुख क्षेत्रों की पहचान की जाए,
- संचार, सूचना तथा चेतावनी प्रणालियों को स्थापित किया जाए,
- समन्वय तथा अनुक्रिया क्रियाविधि तैयार की जाए,
- आर्थिक तथा अन्य संसाधनों की योजना बनाई जाए,
- सार्वजनिक शिक्षा कार्यक्रम तैयार किया जाए,
- संबद्ध लोगों को सतर्क रखा जाए,
- तंत्र में कोई शिथिलता न आने दी जाए,
- तुरंत अनुक्रिया हेतु तैयार रहा जाए, क्योंकि क्षण भर के विलंब से जान– माल की काफी क्षति हो सकती है।

जिन देशों में आपदा के प्रभाव को रोकने के लिए तैयारी रहती है, उन्हें कम क्षति उठानी पड़ती हैं और उनका सामान्य जीवन तेजी से वापस लौट आता है। अतः आपदा प्रबंधन का पहला चरण है– सन्नद्धता/कटिबद्धता/तैयारी/तत्परता।

सन्नद्धता के लिए आवश्यक है कि तुरत कार्यवाही के लिए मानव संसाधनों, सामग्री तथा धन के लिए पहले से योजना हो। मानव संसाधनों, सामग्री तथा धन के प्रबंधन हेतु अच्छे आपदा प्रशासन की आवश्यकता पड़ती है।

आपदा योजना

यह पूर्व निर्धारित कार्यवाही की दिशा है, जो सामाजिक–आर्थिक समस्याओं की प्रकृति तथा विस्तार से जुड़ी है। योजना अँधेरे में तीर चलाना नहीं है। यह भविष्य के प्रति उद्धार दृष्टिकोण है।

आयोजन एक व्यवस्थित, सचेष्ट एवं सतत प्रयास है। यह आपदाओं की तैयारी के लिए उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ विकल्प चुनने का प्रयास है।

सामान्यता किसी दीर्घकालीन योजना में लक्ष्य तैयार किए जाते हैं। ये हैं–

- क्या प्राप्त किया जाना है?
- किस हद तक प्राप्त किया जाना है?
- कितनी जनसंख्या पर लागू होना है?
- भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, जिसमें कार्यक्रम को चालू करना है?
- लक्ष्यों को पूरा करने में कितना समय लगेगा?

सन्नद्धता के लिए जो आपदा योजना की जाती है, वह भौतिक योजना या पक्ष समर्थन आयोजन के रुप में होती है। भौतिक योजना के अंतर्गत शहरों तथा ग्रामों में निर्माण–कार्य हेतु भवनों की उॅचाई, पुलों के निर्माण हेतु नियम बनाने होते हैं।

पक्ष समर्थन योजना के अंतर्गत विभिन्न गैर–सरकारी संगठनों से सहायता ली जाती है, निर्देश दिए जाते है।

सुभेद्य वर्गो के लिए आपदा सन्नद्धता

जब आपदा आती हैं तो सारे लोग मृत्यु, चोट, घर उजड़ने, व्यवसाय छिनने आदि के खतरों के प्रति उन्मुख रहते हैं। किंतु सबसे अधिक क्षति उन्हें पहुॅचती है, जो पहले से ही अलाभकर स्थिति में होते हैं, यानी सुभेद्य होते है। अतः आपदा के दौरान तथा बाद में भी इसी वर्ग के प्रति विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

सुभेद्य वर्ग (कमजोर/असहाय)

वृद्धजन, स्त्रियॉ एवं बच्चे– ये तीनों आपदा सुभेद्य वर्ग है।

वृद्धजन– आपदाओं के बाद वृद्धजनों को ही सर्वाधिक कष्ट होता है। उनमें आपदा को झेलने की न तो सामर्थ्य होती है, न ही उनके पास संसाधन होते हैं। सन् 2010 तक विश्व भर में 60 वर्ष से ऊपर आयुवालों की संख्या 1 अरब हो जाएगी। अधिक आयु प्राप्त करना अच्छी बात है, किंतु सक्रिय होकर जीवित रहना अधिक महत्वपूर्ण है। अधिकांश वृद्धजन अपने परिवार वालों पर आश्रित होते हैं। यदि उन्हें अच्छा भोजन, अच्छे वस्त्र या अच्छा आश्रय नहीं मिलता तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। उनका जीवन दयनीय हो जाता है। यही नहीं, अधिकांश वृद्धों को नाना प्रकार के रोग सताते है, यथा–हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, अवसाद, मूत्राशय की बीमारियॉ। वृद्धों को अकेलापन तथा अवसाद सताता रहता है। प्राचीन काल में वृद्ध ही परिवार के मुखिया होते थे किंतु अब समय बदल चुका है, परिवार के सदस्य वृद्धों की परवाह नहीं करते। स्त्रियों के लिए बुढ़ापा तनिक भी अनुकूल नहीं है। स्त्रियॉ दैनिक काम–काज तथा कुपोषण, चिंताओं एवं कैंसर अस्थि रोग के कारण अत्यधिक पीड़ित रहती है।

स्त्रियां – आपदाओं में स्त्रियॉ सर्वाधिक कष्ट भोगती हैं, जिसका कारण उनकी जैविक तथा आर्थिक स्थिति है। स्त्री घर की धुरी है, जिसके चारों ओर परिवार, समाज तथा मानवता चक्कर लगाती है। स्त्रियॉ बच्चों के लालन–पालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यदि स्त्री शिक्षित होगी तो भावी पीढ़ी शिक्षित होगी। महिला विकास से विश्व के विकास तथा आधुनिकीकरण में सहायता मिलेगी।

बच्चे– बच्चे पराश्रित होते हैं, अतः वे आपदा की मार को झेल नहीं सकते। आपदा के दौरान तथा बाद में बच्चों की उपेक्षा करेंगे तो सबसे बड़ा अपराध करेंगे।

लड़कियों के लिए SAARC ने सन् 1990 को Year of Girl Child और सन् 1991–2000 को Decade of Girl Child घोषित किया। इसके द्वारा लड़कियों के विकास हेतु सही वातावरण उत्पन्न किया जा सका।

सन्नद्धता के घटक

सन्नद्धता के अंतर्गत दो महत्वपूर्ण कार्य करने होते हैं – एक तो भविष्यवाणी करना/पूर्वानुमान और दूसरा चेतावनी।

भविष्यवाणी करना– प्राकृतिक आपदाओं के घटित होने में पूर्वानुमान की संभावना निहित रहती है, अतः आपदा प्रबंधन में पूर्वानुमान या भविष्यवाणी का महत्व है। किंतु पूर्वानुमान या भविष्यवाणी को सिद्ध वैज्ञानिक सिद्धांतों तथा संक्रियात्मक रुप से सिद्ध तकनीकों पर आधारित होना चाहिए।

भविष्यवाणी करने वाले को दक्ष होने के अलावा कोई अधिकृत एजेंसी या व्यक्ति होना चाहिए। भविष्यवाणी अत्यंत स्पष्ट शब्दों में होनी चाहिए और तेजी से प्रचारित की जानी चाहिए। इसके लिए सूचना प्रौद्यौगिकी का सहारा लिया जा सकता है। ध्यान रहे कि यदि वह भविष्यवाणी एक बार गलत होती है तो जनसामान्य का इस पर से विश्वास उठ जाता है और दुबारा वह ऐसी भविष्यवाणी पर विश्वास करने को तैयार नहीं होता।

चेतावनी– संभावित आपदा के विषय में भविष्य हो जाने के बाद इसे क्षेत्र विशिष्ट तथा समय विशिष्ट चेतावनी के रुप में तुरंत रुपांतरित करना होगा। चेतावनी को उपभोक्ता विशिष्ट भी होना चाहिए, क्योंकि विभिन्न उपयोक्ताओं की आपदा सहन क्षमता भिन्न–भिन्न होती है। समय से दी गई चेतावनी आपदा के कुप्रभावों को कम करती है।

आपदा निवारण/न्यूनीकरण

अधिकांश प्राकृतिक आपदाएँ ऐसी हैं, जिन्हें घटित होने से रोका तो नहीं जा सकता, किंतु उनके क्षतिकारी प्रभावों को न्यून करना या उन्हें क्षीण करना संभव है (यथा इमारतें बनाने के लिए नियम बनाकर)। किंतु कुछ मामलों में क्षीणन उपाय आपदा के आयाम को कम करने का प्रयास करते है (यथा नदी के प्रवाह को मोडकर भीषण बाढ़ से बचाव) इसे न्यूनीकरण कहते है। इमारतों के निर्माण के समय यदि निर्माण संहिता का पालन किया जाए तो भूकंपों से क्षतियॉ कम की जा सकती है। इसी तरह समुदायों की भागीदारी से भी क्षतियॉ कम की जा सकती है।

आपदा निवारण का अर्थ है कि किसी आपदा से होने वाली क्षति का पूर्णतया विलोपन, किंतु ऐसा व्यावहारिक नहीं है। यदि बाढ़–पीड़ियों को ऐसे स्थानों पर ले जाकर बसाया जाए, जहॉ बाढ़ की पहुॅच नहीं है तो आपदा सुभेद्यता शून्य हो जाती है। इसी को निवारण कहते है।

घरों, स्कूलों तथा अन्य सार्वजनिक इमारतों की संरचनात्मक गुणवत्ता में सुधार लाकर दुर्घटनाएं कम की जा सकती है। यह भी न्यूनीकरण है।

अनुमान है कि विगत बीस वर्षो में लैटिन अमरीका तथा कैरेबियन देशों में लगभग 100 अस्पताल तथा 500 स्वास्थ्य केंद्र क्षतिग्रस्त हुए है।

इनमें से कई अस्पताल धराशायी हो गए, जिससे तमाम बीमार तथा मेडिकल स्टाफ मारे गए। इस तरह समुदाय के लिए सेवा कार्य बाधित हुआ और कुछ मामलों में घटना के वर्षों बाद तक इमारतों की मरम्मत नहीं हो पाई। जल आपूर्ति बाधित होने से सार्वजनिक स्वास्थ्य बुरी तरह प्रभावित होता है। ऐसी क्षतियों से पुनर्वास पर अत्यधिक खर्च पड़ता है।

पुनर्वास

पुनर्वास का अर्थ है आपदा से घायल, दुखी, अशक्त स्त्री, पुरुष एवं बालकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाने तथा अस्थायी रुप से कैपों आदि में उनके भोजन, स्वास्थ्य की देखरेख करने के बाद उस समुदाय को उनके पहले वाले कार्य उपलब्ध कराना, उनके लिए सुरक्षित आवास उपलब्ध कराना एवं उन्हें पूर्ण स्वास्थ्य प्रदान कराना है।

भारत में संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों का जाल फैला है। संयुक्त राष्ट्र पुनर्वास के मुद्दे पर स्थानीय जनता को भी सम्मिलित करना चाहता है। डब्ल्यू एच ओ भी यूनिसेफ के साथ मिलकर संक्रामक रोगों की निगरानी तथा चेतावनी प्रणाली पर कार्य करता है। यह स्त्रियों तथा बच्चों को विटामिन–ए पूरक देता है। यूएनडीपी बेघर वालों को आवास तथा 50 हजार परिवारों को Survival Kit देगा। इसकी टीमें घूम–घूमकर फिर से मकान बनाने को कहेंगी, जिनमें भूकंप–रोधी भवन सामग्री का इस्तेमाल हो।

पूर्वावस्था पुनः प्राप्ति

जिसे पहले पुनर्वास कहा जाता था, वही अब पूर्वावस्था पुनः प्राप्ति के रुप में परिभाषित है। आपदा प्रभावित लोगों का घटना क्षेत्र से जीवित निकल आना परमावश्यक है। एक बार जीवन सुरक्षित हो जाए, तब प्रश्न उठना है कि इन्हें कहाँ बसाया जाए? लोगों को ऐसे घर प्रदान किए जाएँ, जो उन्हें प्राकृतिक प्रकोप से बचा सकें। इसे आश्रय प्रदान करना कहते है। इसके बाद सकें, जिसे पुनर्वास कहा गया है, वही नए रुप में पूर्वावस्था पुनः प्राप्ति है।

इस पूर्वावस्था पुनः प्राप्ति के तीन आयाम हैं–

- स्वास्थ्य
- आवास
- आजीविका।

आपदा के दौरान अनेक स्वास्थ्य समस्याएँ उत्पन्न होती हैं, जिनका सामना करना एक टेढ़ी खीर बन जाती है। सामान्यता आपदा क्षेत्र में स्वास्थ्य प्रबंधन के साधन सीमित होते हैं, अतः स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य प्रबंधन कठिन हो जाता है।

स्वास्थ्य पर आपदाओं का प्रभाव कई प्रकार से पड़ता है। मलबे के नीचे दबने से, डूबने से, भूख से, भय से, अकाल से, विद्युत्पात से, दुर्घटनाओं से, जहरीली गैसों से तमाम मौंते हो जाती है।

इसी तरह सुरक्षित जल के अभाव, सफाई के अभाव, सही पोषण के न मिलने, खाद्य की कमी, बिजली गुल होने से तमाम संचारी रोग फैल सकते है। आपदा के कारण चोटें लगने से हड्डी टूटना, हैमरेज होना, घाव, जलना जैसी शारीरिक क्षतियॉ होती है।

पेयजल की आपूर्ति न होने, अस्थायी कैपों की स्थिति खराब होने, कम स्थान में रहने से घुटन तथा ड्यूटी पर तैनात लोगों के भ्रष्टाचरण, चोरी, बलात्कार

आदि एवं स्वजनों की मृत्यु से क्षोभ के कारण मनौवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है।

स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित जल तथा साफ–सफाई (स्वच्छता) आवश्यक है। सुरक्षित पेयजल न होने, मानव मल–मूत्र का ठीक से निपटान न हो पाने के कारण अनेक मारक रोग फैल सकते है। 80 प्रतिशत रोग इन्हीं दो कारणों से फैलते हैं।

आपदाग्रस्त जन–समुदाय के स्वास्थ्य की प्राथमिकताएँ–

सर्वोपरि प्राथमिकता गंभीर रुप से घायलों को दी जानी चाहिए, क्योंकि यदि इन्हें तुरंत चिकित्सीय सहायता न दी गई तो वे जीवित नहीं रह सकेंगे।

दूसरी प्राथमिकता उन घायलों को दी जानी चाहिए, जिनके घाव जानलेवा नहीं है। इनकी भी प्राथमिकता चिकित्सा की जानी चाहिए। इसके लिए स्थानीय टीम को इसका प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, ताकि वे घायलों को खोज–खोज कर बचाएँ किंतु प्रायः सरकारों तथा मीडिया का ध्यान मृतकों की संख्या पर जाता है। यही नहीं , मृतकों की संख्या में संशोधन होता रहता है। वास्तविक मौतों के सरकारी ऑकड़े बदलते रहते है। सुनामी के समय वास्तविक मृतकों की संख्या को लेकर काफी उहापोह बना रहा। अंत में भारत सरकार ने मृतकों की संख्या 10,500 तथा तीन सप्ताह बाद तक खोए हुओं की संख्या 5,500 बताई। किंतु अनाधिकारिक ऑकड़े तीन गुना से भी अधिक थे। इसी तरह 26 जनवरी 2001 को गुजरात में आए भूकंप में मृतकों के सरकारी ऑकड़े 18000 हैं, जबकि गैर–सरकारी ऑकड़े 50,000 से उपर हैं।

प्रायः आपदाओं के आने पर सभी का ध्यान मृतकों पर जाता है, जबकि सर्वप्रथम घायलों पर ध्यान जाना चाहिए। फिर जो मृत हुए, उनकी गणना करके मृतक कर्म किए जाने चाहिए। किंतु सर्वाधिक ध्यान उन पर दिया जाना चाहिए, जो तुरंत सहायता के बिना जीवित नहीं रह सकते। लापरवाही से इस तरह मृतकों की संख्या में बढ़ोतरी होती रहती है।

अतः मृतकों पर ध्यान तब दिया जाए जब घायलों तथा प्रभावित लोगों की सहायता कर जी जाए, जिससे उनका जीवन सुरक्षित हो सके। मृतकों पर ध्यान देना तीसरी प्राथमिकता होनी चाहिए। चौथी प्राथमिकता आपदा के बाद महामारी रोकने की होनी चाहिए। चक्रवात या सुनामी के बाद बाढ़ आने से रोग फैलते हैं – ये जल–वाहित होते हैं। ऐसे रोग एक पखवाड़े बाद में शुरु होते है, जो कि रोग वाहकों का 'इनक्यूबेशन पीरियड' है। प्रायः स्त्रियों, बच्चे तथा वृद्ध ऐसे रोगों के शिकार बनते है। सर्दी या गरमी से भी मृत्युएँ होती है। जो पहले से अशक्त–अपाहिज हैं, उनकी उपेक्षा नहीं हो या फिर आपदा के कारण अपाहिजों पर ध्यान दिया जाए।

आपदा के कारण बचे हुए लोगों को मानसिक आघात पहुँचता है– इसे Post- Traumatic Stress Disorder (PTSD) कहते है। अधिकांश लोग मध्यम तनाव (Moderate Stress) से 6–16 माह में उबर आते है। प्रत्येक आपदा का भुक्तभोगी भिन्न–भिन्न होगा, अतः प्रत्येक दशा के लिए भिन्न–भिन्न उपचार किए जाने चाहिए। जो लोग आपदा के बाद भी उसी स्थान पर रहे आते हैं, उन्हें भिन्न प्रकार का मानसिक आघात हो सकता है। कभी –कभी आर्थिक कठिनाईयों के कारण मानसिक आघात पहुँचता हैं।

शरण (Shelter)/आवास

जहॉ तक संभव हो, परिवारों को उनके घरों के पास ही तंबू में रखा जाए, जिससे वे अपने पशुओं और घरबार की देखभाल कर सकें। जिनके घर पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, उन्हें घर के बाहर तंबुओं में सोने के लिए कहा जाए। अच्छा होगा कि उन्हें नए प्रकार के घर बनाकर दिए जाएँ।

आजीविका

पुनर्वास के दौरान आपदाग्रस्त लोगों की आजीविका हेतु कुछ वैकल्पिक प्रयास किए जाते है। यदि मछुआरे की पत्नी को सिलाई–कढाई का प्रशिक्षण दिया जाए तो वह व्यर्थ होगा। उनके बनाए सामान को कौन खरीदेगा? वे स्पर्धा में कहीं नहीं ठहर पाएँगी। इसलिए व्यक्ति पहले जो कार्य करता रहा हो, उसे वही कार्य उपलब्ध कराया जाए।

अंडमान–निकोबार में सुनामी–प्रभावित लोगों में 'स्वयं' कार्यक्रम चालू किया गया, जिसमें थोड़ा धन देकर उन्हें अपने आप कार्य प्रारंभ करने की छूट दी गई। इन्हें बीमा योजना के अंतर्गत अल्प बचत को बीमा में लगाने की शिक्षा दी जानी चाहिए और स्कूली बच्चों के लिए तंबुओं में या अन्य स्थानों पर शिक्षा प्रदान करने का प्रबंध करना होगा।

डॉ. त्रिलोचन सिंह,
संकाय सदस्य

सरस मेले में मिला समूह को दूसरा पुरूस्कार

ग्राम अम्बाडा जनपद पंचायत परासिया जिला छिंदवाडा में कौमी एकता स्वःसहायता समूह अम्बाडा 16/02/2018 से संचालित है समूह में कुल 10 महिला सदस्य है ।

दीनदयाल अंत्योदय योजना राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एमपीडे एसआरएलएम) के सहयोग से ग्राम अम्बाडा में कौमी एकता स्वःसहायता समूह गठन किया गया समूह में विभिन्न गतिविधियों से कार्य कर आजीविका सुदृढ कर रहा है समूह में अध्यक्ष श्रीमती कचरा बाई साहू एवं सचिव श्रीमती तरून्नूम बानो कोषाध्यक्ष श्रीमती संजीदा बानो है।

कौमी एकता स्वःसहायता समूह अम्बाडा द्वारा समूह के सभी 13 सूत्रो का पालन कर समूह में जमा राशि का सदस्यों के मध्य आपस में लेन–देन कर रहे है समूह द्वारा मेकाम वर्ग जिसमें झूमर बनाना मोबईल स्टेंड बनाना फ्लावर पॉट गुलदस्ता स्टेंड पर्स बनाने का कार्य कर रहें हैं।

समूह ने अपनी 16 हजार जमा राशि से कार्य प्रांरभ किया श्री सोहन बाल्मिकी विधायक परासिया जिला छिंदवाडा द्वारा समूह के अच्छे कार्य करने के कारण समूह को 10 सिलाई मशीन विधायक जनसंपर्क राशि से दी गयी जिससे समूह ने थैलिया बनाने का कार्य प्रांरभ किया समूह ने 15000 रूपये का कच्चा माल खरीद कर मेकरम वर्क किया जिससे 35 हजार का माल तैयार कर भोपाल हाट एवं सरस मैले भोपाल में विक्रय किया अभी तक समूह ने 6 हजार रूपये के झूमर मोबईल स्टेंड

फ्लावर पॉट विक्रय कर चूके है समूह के अच्छे कार्य करने पर दिनांक 15.01.2019 से 27.01.2019 तक आयोजित सरस मैले भोपाल में दिनांक 26.01.2019 को द्वितीय पुरूस्कार दिया गया है।

वर्तमान में कौमी एकता स्वःसहायता समूह अम्बाडा को स्टैट बैंक अम्बाडा द्वारा 1 लाख रूपयें की सीसी लिमिट (सी.सी.एल) दिया गया है सीसीएल की राशि से समूह की सदस्य श्रीमती कचरा बाई साहू ने जनरल स्टोर हेतु 20 हजार रूपये श्रीमती तरून्नूम बानों मेकरम वर्क के लिये 40 हजार रूपये श्रीमती सीता यादव ने सिलाई कढाई हेतु 10 हजार रूपये श्रीमती अम्बिका धुर्वे ने पेपर वेट बनाने हेतु 10 हजार रूपये ऋण लिया एवं कार्य कर रही है। समूह के सदस्य ऋण की राशि प्रतिमाह किस्तों में बैंक में जमा कर रही है। 2019 में समूह ने जनपद पंचायत परासिया से स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत दीवार लेखन का कार्य कर 16 हजार रूपये प्राप्त किये। इसके अतिरिक्त समूह सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सर्वे कार्य भी कर रहा है।

समूह के सदस्यों का मानना है कि मध्य प्रदेश दीनदयाल अंत्योदय राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एमपीडे एसआरएलएम) के अंतर्गत समूह बनने पर समूह की महिलाओं को स्वरोजगार मिला एवं जिससे हमारी आजीविका सुदृढ हुई एवं हमारे परिवार की आर्थिक स्थिती में बदलाव आया साथ ही सामाजिक क्षेत्र में हमारी पहचान बनी एवं ग्राम में अन्य योजनाओं में काम करने के अवसर मिले निश्चित ही एमपीडे एसआरएलएम महिला सशक्तीकरण में सहायक है।

सी.के. चौबे,
संकाय सदस्य

निर्णायक जंग––कोरोना के संग

इस वक्त कोरोना महामारी की भरी दोपहरी चल रही है।हम भारतीयों ने इसी प्रकार संयम से काम लिया और सतर्कता रखी तो इसे ढलती शाम तक ले जाएंगे और विदा भी कर देंगे। वैश्विक महामारी कोरोना की चेन को ब्रेक करने हेतु 21 दिवसीय राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन एवम सोशल डिस्टेंसिंग का शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सभी के द्वारा युद्ध स्तर पर पालन किया जा रहा है।म. प्र.के ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना के खिलाफ निर्णायक जंग में ग्राम पंचायतें मुख्य भूमिका निभा रही हैं।

पुण्य सलिला मां नर्मदा जी के तट पर स्थित ग्राम पंचायत बरमान कला, जनपद पंचायत करेली (नरसिंहपुर) द्वारा कोरोना संक्रमण से समुदाय की रक्षा हेतु शासन के दिशानिर्देशों के अनुरूप एवं सामुदायिक सहभागिता से कार्य किए जा रहें हैं जिनमें प्रमुख कार्य संक्षेप में इस प्रकार हैं –

1. मुनादी एवं प्रचार प्रसार –

ग्राम में घूम–घूम कर माइक स्पीकर से जानकारी ग्रामीणों को दी जा रही है इसमें सम्मिलित है–

- 21 दिवसीय लॉक डाउन में कोई घर से नहीं निकले।
- बीमारी की स्थिति में तुरंत ग्राम पंचायत को सूचना देवें।
- साबुन से बार बार हाथ धोएं, मास्क का प्रयोग करें,सोशल डिस्टेंसिंग।
- बाहर से आए हुए व्यक्ति के बारे मे तुरंत ग्राम पंचायत को सूचित करें।

2. आपातकालीन सुविधाओं की जानकारी ग्रामीणों को दी है

- जिला, जनपद, ग्राम पंचायत, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग के महत्व पूर्ण टेलीफोन नम्बर।
- अनुमति पत्र––अति आवश्यक कार्य हेतु घर, गांव, जिले से बाहर जाने हेतु कोई भी ग्रामीण सादे कागज पर आवेदन व्हाट्सएप या ईमेल कर सकता है। 20 मिनिट के अंदर जिला प्रशासन से आवेदन का निराकरण व्हाट्सएप पर प्राप्त हो जाता है।
- होम डिलीवरी हेतु जनपद स्तर पर किराना दुकानों को चिन्हित किया गया है।प्रत्येक किराना दुकान को उसके पास की 3–4 ग्राम पंचायतों से जोड़ा गया है।
- ग्राम में किसी को भी जुकाम, खांसी, बुखार,

सांस लेने में तकलीफ होने पर ग्राम पंचायत द्वारा तत्काल मेडिकल टीम एवं जनपद कंट्रोल रूम में सूचित किया जाता है।

3. बचाव सामग्री का वितरण

ग्राम पंचायत द्वारा ग्रामीणों को मास्क वितरित किये गए हैं।

4. प्रवासी मजदूरों की सहायता

प्रवासी मजदूरों हेतु भोजन एवं प्रशासन के सहयोग से वाहन की व्यवस्था।

5. चेक पोस्ट –

पंचायत सचिव, पटवारी, स्वास्थ्य विभाग कर्मचारी एवं ग्राम कोटवार की टीम द्वारा ग्राम में आने जाने वाले व्यक्तियों की जानकारी ली जा रही है। जिले के बाहर से गांव में आये व्यक्ति की जानकारी निर्धारित प्रपत्र में दर्ज की जा रही है।

6. असहाय एवं निर्धन व्यक्तियों को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है –

इसी प्रकार का कार्य जनपद पंचायत करेली की ग्राम पंचायत आमगांव बड़ा द्वारा भी किया जा रहा है।यहाँ मानव सेवा समिति द्वारा निर्धनों को भोजन कराया जा रहा है।

7. सोशल डिस्टेंसिंग

ग्राम पंचायत द्वारा मेडिकल स्टोर्स, किराना एवम राशन दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग व्यवस्था लागू की गई है।

8. 21 दिवसीय लॉक डाउन के दौरान आम जनता को असुविधा ना हो इस दृष्टि से म.प्र.

शासन की महत्वपूर्ण घोषणाओं–निर्देशों से ग्रामीणों को अवगत कराया जाना

- समस्त सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के हितग्राहियों को 2 माह की अग्रिम पेंशन भुगतान।
- संनिर्माण कर्मकार मंडल के पंजीकृत हितग्राहियों को रुपये 1000/– की सहायता राशि।
- सहरिया, बैगा एवं भारिया जनजाति के परिवारों के खातों में दो माह की अग्रिम राशि रुपये 2000/– का भुगतान।
- कोरोना पॉजिटिव पाये जाने पर शासकीय अस्पतालों एवं मेडिकल कॉलेज में निःशुल्क इलाज।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्र परिवारों को एक माह का राशन निःशुल्क।

इस प्रकार ग्राम पंचायत बरमान कला द्वारा सामुदायिक सहभागिता एवं प्रशासनिक समन्वय के द्वारा कोरोना महामारी के विरुद्ध निर्णायक जंग अभी जारी है।

राजीव लघाटे,
मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जनपद पंचायत

कोरोना वायरस (कोविड 19)के संबंध में पूछे जाने वाले प्रश्न

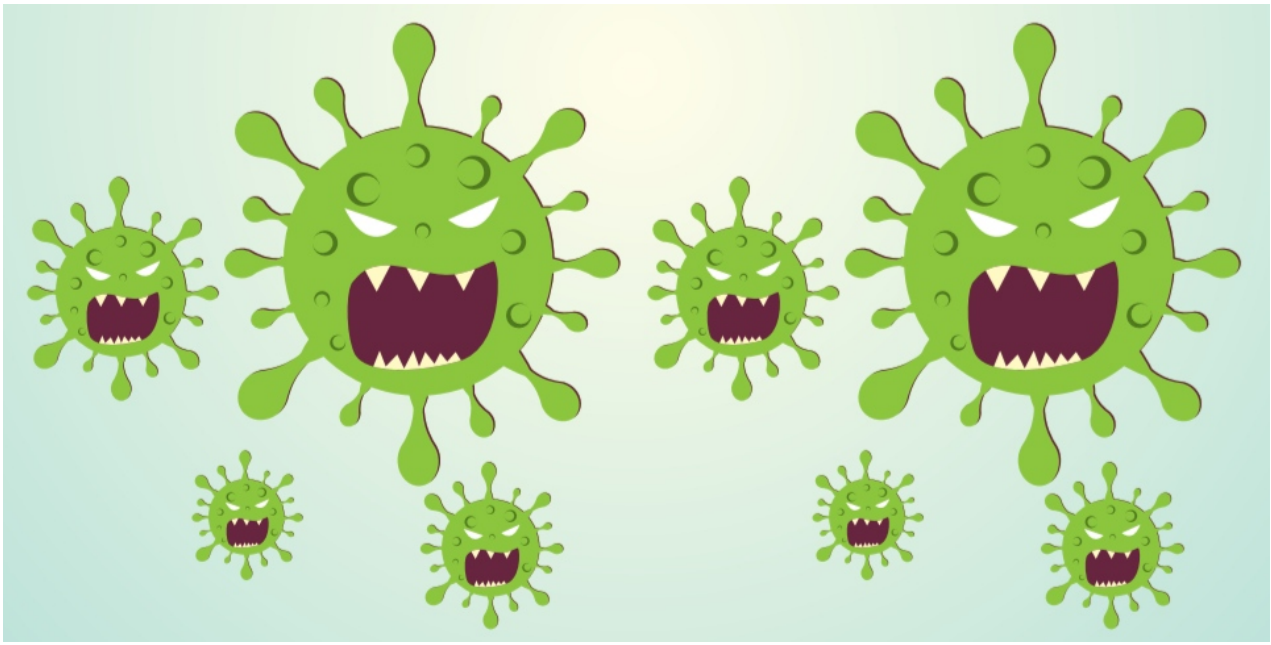

प्रश्न – कोरोना वायरस कैसे फैलता है?

उत्तर – कोरोना वायरस तब फैलता है जब एक स्वस्थ व्यक्ति एक बीमार व्यक्ति की खांसी, छींक के छींटो के संपर्क (आंख, नाक,चेहरा) में आता है।

प्रश्न – यदि आपको कोई खांसते छींकते बीमार व्यक्ति दिखाई देता है तो आपको कौन कौन सी सावधानियां रखनी है

उत्तर – उस व्यक्ति से 1 मीटर की दूरी बनाए जिससे आप खांसी ,छींक के छींटो से बच सकते हैं उन्हें फेस

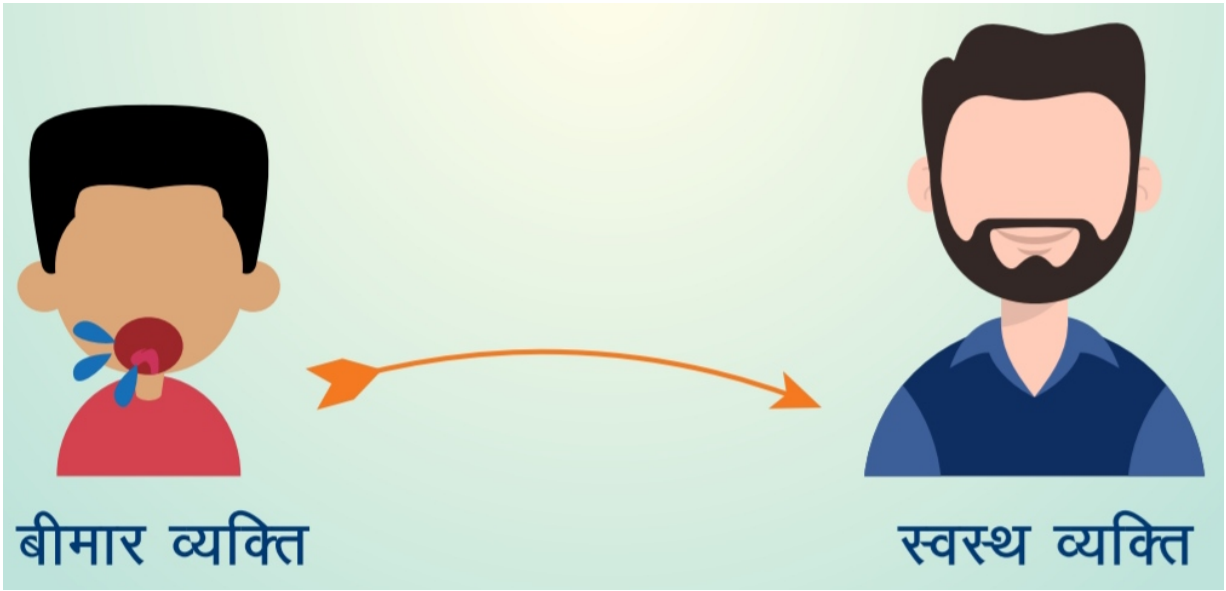

मास्क दे जिस वे मास्क में ही खांस छींक सकते हैं इससे आसपास के लोगों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाया जा सकता है।

- भीड़ में जाने से बचें क्योंकि आपको यह पता नहीं होगा कि कौन वायरस से संक्रमित है
- प्रारंभिक अवस्था में लोगों में संक्रमण के कोई लक्षण नहीं दिखाई देते लेकिन वह दूसरों को संक्रमित कर सकते हैं

प्रश्न – क्या संक्रमित व्यक्ति के शारीरिक द्रव एवं अन्य चीजों पर भी पाए जा सकते हैं?

- **उत्तर** – दरवाजों के हैंडल, पेन, टिसु, कप,लिफ्ट बटन डिजिटल उपकरण जैसे– माउस, की–बोर्ड आदि सीढ़ियों की रेलिंग और यहां तक कि आपके फेस मास्क के बाहर भी इन चीजों को छूकर गलती से अपनी आंखों,नाक और चेहरे को छूने से आप बीमार पड़ सकते हैं।

- वायरल वस्तुओं पर 48 घंटे तक रह सकते हैं। इनसे छुटकारा पाने के लिए साबुन से हाथ धोना ही एकमात्र प्रभावी तरीका है।

प्रश्न– हम संक्रमित होने से कैसे बचाव कर सकते हैं?

उत्तर – इसके लिए यह आसान से कदम उठाएं

- एक संदिग्ध दूषित सतह को छूने के बाद हर बार कम से कम 20 सेकंड के लिए अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं।

- खांसते समय अपने चेहरे को डिस्पोजेबल टिशू से ढके या मास्क का इस्तेमाल करें और उसे तुरंत कूड़े के डिब्बे में डालें
- यदि डिस्पोजेबल टिशू उपलब्ध ना होने पर आप अपनी कोहनी में भी खांस, छींक सकते हैं।
- हाथ मिलाने और गले मिलने से बचे अभिवादन का सबसे अच्छा स्वरूप है नमस्ते।
- जो लोग बीमार हैं उनके संपर्क में आने से बचें
- साबुन और पानी उपलब्ध ना होने पर एक एल्कोहल आधारित हैंड सेनीटाइजर का उपयोग करें जिसमें कम से कम 60 प्रतिशत एल्कोहल हो।
- फ्लू जैसे लक्षण वाले व्यक्तियों के साथ खाना, गिलास, बिस्तर और अन्य घरेलू सामानों को साझा ना करें।
- बार–बार छुई जाने वाली वस्तुओं को साफ और संक्रमण रहित रखें।
- बीमार होने पर चिकित्सक से सलाह अवश्य ले।
- अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 104 पर संपर्क करें।

पंकज राय
संकाय सदस्य

कोरोना वायरस से बचने हेतु गांव–समूह सदस्य का प्रयास

जिला बैतूल जनपद पंचायत आमणा के अंतर्गत तोरनवाड़ा की सीता स्व–सहायता समूह तोरनवाड़ा की महिला सदस्य श्रीमती पुष्पा चौहान ने अपने प्रयास से घर में ही मास्क बनाकर गांव के बच्चों को मास्क देकर अपनी सुरक्षा कर कोरोना वायरस से कैसे बचा जाये प्रचार–प्रसार किया है। ऐसे प्रयास गांव में रहकर अपने आस–पास को कोरोना से बचाव हेतु किया जाकर गांव को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचा सकता है।

निश्चित ही श्रीमती पुष्पा चौहान का प्रयास सराहनीय पहल है। गांवों में एक गठित स्व–सहायता समूह की दीदीयों को बैंक सखी, सी.आर.पी. एवं ग्राम संगठन (व्ही.ओ.) संकुल स्तरीय संघ (व्ही.एल.एफ.) को ऐसे प्रयास कर गांव को जागरूक कर कोरोना वायरस कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के प्रयास करना चाहिए।

सी.के. चौबे,
संकाय सदस्य

पंचायतराज व्यवस्था

क्रमांक 73 संशोधन से पुनर्जीवित राज पंचायत किया ।
जन जन में खुशयाली बापू ग्राम स्वराज दिया।
जड़ें हो लोकतंत्र की गहरी यही चाह रहा था देश।
पंचायतराज स्थापना से सम्पूर्ण हुआ उद्देश्य।
देखो विशेषताएं इसमें हो चुनाव जरूरी, ग्रामसभा, और आरक्षण।
पा संवैधानिक दर्जा मिल बना और विलक्षण ।
त्रिस्तरीय रूप दे जनी ग्राम, जनपद, जिला पंचायते।
वित्त आयोग, गठन, पंच–वर्ष, कर ले आय बढाई स्रोते।
आर्थिक विकास और समाजिक न्याय की शक्तियॉ।
लेखाओ का आडित कर विधायक संसादो को दे सदस्ताएं।
सारे भारत में अगणी बन स्वर्ण अक्षरो में नाम किया।
धन्य हुआ मध्यप्रदेश आज मैं गर्व से मस्तिष्क उठा दिया।
समय आ गया वह जन जाग्रति आव्हान करे।
आओ मिल उठ आगे आये पंचायतराज को सफल करें।

राजेन्द्र प्रसाद खरे,
संकाय सदस्य